Fourteenth Loksabha

Session : 7
Date : 06-03-2006
Participants : Dikshit Shri Sandeep,Malhotra Prof. Vijay Kumar,Chandrappan Shri C.K.,Reddy Shri Sudini Jaipal ,Reddy Shri Sudini Jaipal ,Tirath Smt. Krishna

an>

Title : Prof. Vijay Kumar Malhotra called the attention of the Minister of Urban Development to the situation arising out of the inaction on the part of Government to solve the problems being faced by the residents of Delhi due to massive demolition drive being undertaken in the NCT Delhi.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA (SOUTH DELHI): Sir, I call the attention of the Minister of Urban Development to the following matter of urgent public importance and request that he may make a statement thereon:

> "Situation arising out of the inaction on the part of Government to solve the problems being faced by the residents of Delhi due to massive demolition drive being undertaken in NCT Delhi."

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please allow the hon. Minister to make a statement.

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT (SHRI S. JAIPAL REDDY): Mr. Speaker Sir, I rise to make this statement to apprise the hon. Members of the House about the circumstances leading to the demolition action being undertaken by the Municipal Corporation of Delhi and the steps taken by the Government of India in the matter.

Sir, construction of buildings in Delhi is regulated as per the provisions of the Unified Building Bye-laws 1983.

The local bodies are responsible for implementing these bye-laws in areas falling under their respective jurisdictions.

Several Public Interest Litigations and Writ Petitions in respect of unauthorized construction and / or misuse had been filed in the hon. High Court of Delhi and were pending for the last few years. In a hearing of these cases on 14.12.2005, the hon. High Court directed the Municipal Corporation of Delhi to take appropriate action against all residential and commercial buildings, including

---

* Also placed in Library. See No. LT 3752/2006

action of demolition, to bring these buildings within the parameters of sanctioned plans and in conformity with the permissible use.

Sir, the hon. Members will appreciate that the extent and magnitude of violations of unauthorized construction and misuse of premises is assessed to be huge and the number of families likely to be affected may be in lakhs. Such large-scale forcible action by local bodies also leads to complaints of harassment at the hands of the field staff as well as a genuine apprehension in the minds of people about the arbitrary and colourable use of power by the field functionaries.

These violations do not fall in a single category – some are more serious in nature than the others. It would, therefore, be appropriate to deal with the violations in phases. For this purpose, it is necessary to segregate different categories of violations. There is also the complex issue of construction activity in Lal Dora areas.

At the same time, there is the larger issue of planned development and growth of Delhi, as per the Master Plan of Delhi and building bye-laws, which need to be enforced in equitous and transparent manner.

Sir, what I wish to submit before the hon. Members is that the entire gamut of issues involved here is so complex that we need to take an in-depth and comprehensive view in the matter on the larger interest of the community. With this end in view, we have decided to set up an Expert Committee under the Chairmanship of Shri Tejendra Khanna, former Lt. Governor of Delhi. We have requested the Committee to submit its recommendations within three months. The Committee has started functioning.

Sir, the Municipal Corporation of Delhi has filed an application apprising the hon. Court about setting up of the Committee and requested to permit it to continue to take action in respect of encroachments or construction on public land and ongoing

unauthorized construction, while in other cases of violation and misuse, action be taken on receipt of the recommendations of the Committee. Government of India has also filed similar application in the High Court. The High Court considered these applications on 27.2.2006 and has listed the matter for hearing on 22.3.2006.

Such large scale unauthorized construction and misuse indicates, *prima facie*, remissness on the part of the enforcement machinery. Therefore, the Government has also requested the Government of NCT of Delhi to advise the Commissioner, Municipal Corporation of Delhi to take exemplary action against delinquent officials and in glaring instances of unauthorized construction and misuse of premises, register criminal cases.

Sir, from these facts, it would be clearly evident that the Government of India is fully seized of the matter and has taken well-considered and timely action that is required under the circumstances.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी का बयान यहां आया है और माननीय रेड्डी जी बहुत ही सीजन्ड मंत्री हैं, लेकिन यह बयान अत्यंत निराशाजनक और आपत्तिजनक है। उन्होंने जो कहा है कि :

> "…it would be clearly evident that the Government of India is fully seized of the matter and has taken well-considered and timely action… "[r10]

दोनों ही बातें पूर्णतयया गलत हैं। मुझे लगता है कि मंत्री जी को इसका अंदाजा नहीं है कि प्राब्लम क्या है? इन्होंने कहा है कि हमने कोर्ट में जाकर यह कहा है कि

> "The High Court considered these applications on 27.02.2006 and has listed the matter for hearing on 22.03.2006. "

परंतु इन्होंने यह नहीं बताया है कि कोर्ट ने समय देने से इंकार कर दिया है। कोर्ट ने यह कहा कि जो हमने डिमोलीशन के बारे में फैसला किया है, वह जारी रहना चाहिए। न उन्होंने स्टे दिया और न ही उन्होंने इनकी बात को माना। जो स्थिति पैदा हुयी है और उसकी गंभीरता क्या है, मैं उसके बारे में बताना चाहता हूं। पहला एक्शन इन्होंने बताया कि हाई कोर्ट ने 14.12.2005 को पहला आर्डर किया, जैसा कि मंत्री महोदय के स्टेटमेंट में है कि -

" … to take appropriate action against all residential and commercial buildings, including action of demolition, to bring these buildings within the parameters of sanctioned plans and in conformity with the permissible use. "

करीब 10 लाख मकान दिल्ली शहर में हैं, जिनके अंदर कोई न कोई वायलेशन है, जिनके ऊपर तलवार लटक रही है, जिनके ऊपर कोई न कोई एक्शन करना पड़ेगा। इसमें रहने वाले 50 लाख लोग हैं, उनके बारे में जब आपने कोर्ट में जाकर यह बात कही, तो कोर्ट ने इसको मानने से इंकार कर दिया। यह हाई कोर्ट का पहला आर्डर है। उसके मुताबिक इन्होंने कहा है कि सब वायलेशंस को, इन्क्ल्यूडिंग डिमोलीशन, सीलिंग, इनको सील कर दिया जाए।

तीसरी बात कही है कि उनका पानी और बिजली काट दिया जाए। 10 लाख के करीब मकान ऐसे हैं। जितनी भंयकर समस्या है, उसके बारे में मंत्री महोदय का जो बयान है, उसको देखने की जरूरत है। हाई कोर्ट ने कहा है कि 18 हजार मकान तो अभी गिरा दिए जाएं। दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के डायरेक्शंस पर उनको इंटरनेट और वेबसाइट पर लगा दिया गया है। ये चार-चार मंजिला मकान हैं। पांच लाख लोग उनमें रहते हैं। Immediate demolition of those 18,000 houses. उनको गिराने का आर्डर है। उसके लिए टाइम दिया गया और जो उसको नहीं करेंगे, उनके खिलाफ कंटेंप्ट आफ कोर्ट की बात कही गयी है, साथ ही साथ उनकी भी बिजली और पानी काटने के आर्डर्स दिए गए हैं। यमुना मैली में 40 हजार मकान हैं, इनको भी गिराने के आर्डर्स हैं। इस मामले में न आपने स्टे मांगा, न उनके बारे में आपने कोई बात की है। यमुना के आस-पास बसी हुयी अन-अथोराइज्ड कालोनी के 40 हजार मकान, जिनको गिराने का टाइम भी निकल गया और आपको 40 हजार मकान को गिराने का आर्डर दिया गया।

दूसरा आर्डर है कि हर रेजीडेंशियल इलाके में व्यापारिक प्रतिठानों को, दुकानों को तुरंत सील कर दिया जाए और उनके खिलाफ कार्यवाई की जाए। चार लाख दुकानें ऐसी हैं, इन दुकानों में काम करने वाले कर्मचारी और उनके मालिकों को और उनके परिवारों को मिला लिया जाए, तो ये भी 25-30 लाख लोग होते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या चार लाख दुकानें गिरायी जा सकती हैं। उनके ऊपर बुलडोजर तो चल ही रहा है और करीब दो हजार दुकानें सील भी हो चुकी हैं और उनको खोला नहीं जा रहा है और इन चार लाख दुकानों के बारे में क्या रेमेडी होगी, इस बात का जिक्र भी नहीं किया गया है। लाल डोरा गांवों में, सारी दिल्ली में उनकी जमीन एक्वायर कर ली। लाल डोरे के अंदर सन् 1963 में तय किया गया था कि उन पर कोई बिल्डिंग बाइ-लाज लागू नहीं होंगे। वे सारे गांव के लोग जिनकी जमीनें एक्वायर हो गयीं, जिनकी खेती नहीं बची और उनके अंदर अब यह आर्डर आया है, क्योंकि आपने उसके बारे में कोई कार्यवाई नहीं की और यह आर्डर कर दिया गया कि उनके अंदर जो भी मकान बिल्डिंग बाई-लाज के मुताबिक नहीं हैं, जो दुकानें चल रही हैं, जो कामर्शियल एक्टिविटी हैं, इन सब को फौरन बंद कर दिया जाए। लाल डोरे के अंदर जो मकान या

दुकान, जिनके बारे में तय हुआ था, उनकी जो स्थिति है, उसका भी इसके अंदर कोई हवाला नहीं आया। अभी कल सुप्रीम कोर्ट का आर्डर आया है कि दो हफ्ते में उसको पूरा करना है। जितने पटरी वाले, खोमचे वाले, रेहड़ी वाले, तह-बाजारी वाले, जितने संडे बाजार या वीकली बाजार लगते हैं, उन सबको दो हफ्ते के अंदर हटा दिया जाए। ऐसे कितने लोग हैं? यह ठीक है कि 50 हजार के करीब लाइसेंसी वेंडर्स हैं। तीन-चार लाख लोगों के पास लाइसेंस नहीं है। उनको दो हफ्ते में हटाने के ऑर्डर हैं। वे सब बेचारे गरीब आदमी हैं। अमीर आदमी पटरी नहीं लगाता है। उनको दो हफ्ते तक कैसे बसाएंगे? आपको इतने दिनों से कहा गया था कि उनके लिए जगह तय करें, पटरी बाजार बनाएं लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ। यह कहा गया कि हम लोग इसके ऊपर पूरी तवज्जह दे रहे हैं, एक्शन ले रहे हैं। What will happen in two weeks? क्या यह लॉ और ऑर्डर की स्थिति नहीं बनेगी। जो वीकली बाजार लगाते हैं, पटरियों पर बैठते हैं, यह बात ठीक है कि पटरियां खाली होनी चाहिए लेकिन उनको कोई जगह तो दी जाए। इन सब को दो हफ्ते में कौन सी जगह देंगे? आपने कौन सी कार्र वाई की? कोई आश्वासन नहीं है कि दो हफ्ते में क्या किया जाएगा?

सुप्रीम कोर्ट ने अब एक ऑर्डर निकाला है कि 31 मई तक 50 हजार झुग्गियों को शिफ्ट किया जाए। बाकियों को शिफ्ट करना ही है। आपने तय किया था कि कॉमन वैल्थ गेम्स से पहले झुग्गी वालों को दूसरी जगह बसा देंगे। आपकी स्कीम है कि चार मंजिला बनाएंगे, आठ मंजिला बनाएंगे। 50 हजार झुग्गी वाले 31 मई के बाद कहां जाएंगे? आपने बहुत सी जगहों में मकान गिराने शुरू भी कर दिए हैं। कुल मिला कर देखेंगे तो पता लगेगा कि दिल्ली में डेढ़ करोड़ की आबादी है। शायद एक-दो परसैंट लोग बच जाएं। बाकी सब लोग इसके अन्दर आ जाते हैं।

एक और ऑर्डर आपसे डायरैक्ट ताल्लुक रखता है। क्लास फोर्थ का किसी को सरकारी क्वार्टर मिला है लेकिन क्लास थ्री की एनटाइटलमैंट है, उसे जगह नहीं दे पाते हैं, ऐसे में उसने एक कमरा बना लिया। वैसे वह आपकी प्रॉपर्टी है। उनके जो कमरे बने हैं, उन सब के पास उनके डैमोल्यूशन के ऑर्डर आए हुए हैं। दिल्ली में ऐसे 30-40 हजार क्वार्टर होंगे। उनसे कहा गया है कि यहां से निकलो वरना मकान कैंसिल हो जाएंगे। यह एक भयंकर समस्या है। यह समस्या वार टाइप की है। लाखों लोगों के उजड़ने की बात है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि कोई सुनामी, कोई भूचाल, कोई नादिरशाह शासक का ऑर्डर भी यह नहीं कह सकता है कि इस तरह से कितने घर उजड़ेंगे? आप कहते हैं कि हमने बड़ी कार्रवाई की है। क्या कार्रवाई की है? एक कमेटी बनायी है जो तीन महीने तक रिपोर्ट देगी लेकिन तीन महीने तक सब उजड़ और खत्म हो जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के ऑर्डर होने से पहले इम्मिजिएटली कुछ करने की जरूरत थी। आप तीन महीने में देखेंगे। आप हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट गए लेकिन उन्होंने मना कर दिया और कहा कि कोई समय देने को तैयार नहीं हैं। ऐसी हालत में वार टाइव की स्थिति है। उनका एक्शन पीस टाइव का नहीं है। What action is there?

उल्हासनगर में क्या किया गया? एक अध्यादेश निकाल कर ऑर्डर को स्टे किया। मैंने पहले भी कहा कि एक कमेटी बनी थी जिस का मैं अध्यक्ष था। उस कमेटी में सारा मामला देखा गया। उसने एक सिफारिश की थी कि सरकार एनक्रोचमैंट को छोड़ दे, ऑन गोइंग कनस्ट्रक्शन को रोक दिया जाए। इन सब को रोकने के बाद अपनी जमीन पर, अपने घर में बनी छोटी दुकान या मकान है …(व्यवधान) ... I will take two or three

minutes' time. It is a very important issue. It is concerned with millions of Delhi citizens.

MR. SPEAKER: Yes, that is why I have given you 10 minutes' time. I had given you a warning bell.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, एमनैस्टी स्कीम जैसी पहले चिदम्बरम साहब लाए थे, उन्होंने कहा था कि जिस के पास ब्लैक मनी या सोना, चांदी, जेवर रखा है, सब डिक्लेयर कर दो, हम उसे रैगुरलाइज कर देंगे। The courts will not give you relief. कोर्ट कहेगी कि आप कोई रूल बनाओ, लॉ बनाओ। या तो आप उल्हासनगर की तरह अध्यादेश लाते।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व) : क्या दिल्ली को उल्हासनगर बनाएंगे?

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Let us see what the Government has to say about this. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: You are such a seasoned parliamentarian. Do not get diverted.

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : करोड़ों की संख्या में आम आदमियों को इस समय दिल्ली में रात भर बुलडोजर आता हुआ दिखायी देता है। उसे सिवाय उस एमनेस्टी स्कीम के, वह भी आपको इस सैशन में लाना पड़ेगा, उसी तरह से लाना पड़ेगा। अगर एक आदमी के एक हजार करोड़ रुपये को व्हाइट कर सकते हैं, उसके घर में पड़े कई टन सोने को व्हाइट कर सकते हैं, उसी तरह इसे भी रैगुलराइज कर सकते हैं। वे गरीब जो छोटे मकानों और दुकानों में रहते हैं, इसे क्यों नहीं कर सकते? आप इसी सैशन में ऑर्डिनेंस लाइए। मैं यह भी कहना चाहता हूं, आपने जिक्र किया - ये अनऑथोराइज्ड कॉलोनाइजर्स कौन हैं, वे कौन लोग हैं जिन्होंने कॉलोनियां बसाईं, वे कौन बिल्डर्स लोग हैं? ये सब बिल्डर्स अनऑथोराइज्ड बिल्डर्स, कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स, गवर्नमेंट के ऑफिसर्स, बड़े-बड़े पॉलिटिशियन्स हैं, उन्होंने मिल करके इन करोड़ों लोगों को इसमें फंसा दिया। वे लोग तो बचकर निकल गए Not one action has been taken. … (*Interruptions*) तीन साल से दिल्ली में आपकी सरकार है…(<u>व्यवधान</u>)

श्री सन्दीप दीक्षित : आप इस पर डिबेट करवा लीजिए।…(<u>व्यवधान</u>)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि इसमें गवर्नमेंट का रिस्पांस बहुत पुअर है, बहुत डिसअपांटिंग है।…(<u>व्यवधान</u>) If the action is not taken, there will be law and order problem in Delhi and this Government will be responsible for whatever happens in Delhi. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Otherwise, you will not get your chance.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: I have given him a chance.

… (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Minister, I will allow three more hon. Members who have given notices.

… (*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, shall I first respond? … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Not now, later on together, you can respond.

Shri C. K. Chandrappan. I am giving you only two minutes. You only put a question.

… (*Interruptions*)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN (TRICHUR): It is very clear that this is not a thing that has happened all of a sudden. For several decades, the unauthorised construction was going on in several parts of Delhi. No Government – there was the BJP Government as well as the Congress Government in Delhi– seriously took note of it. Now, the bureaucracy … (*Interruptions*)

MD. SALIM : They took note. … (*Interruptions*)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : They took note and they might have taken `notes' also. … (*Interruptions*) The point is that the bureaucracy, at that time, might have amassed a lot of money about which the mover of the Calling Attention was telling. Now they are all sitting pretty. The politicians who ruled the State and the bureaucracy … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please put your question.

… (*Interruptions*)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : There are two types of people involved in it as far as I understood. One is the builders *mafia* and they are going on constructing despite the court's verdict and despite the action of the Government. Now, those people should be put down ruthlessly; those who are doing that, and the poor people who are the victims of this should be protected. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Shri Chandrappan, you can only seek a clarification.

… (*Interruptions*)

SHRI C.K. CHANDRAPPAN : Therefore, my suggestion is that whatever legislation is required should be brought taking all these aspects into consideration. Those *mafias* should be put down and those who are violating the rules should be put down. The poor people who are the victims of this have to be protected. There should be a rehabilitation package for them. I hope the Government will consider that. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: This is a suggestion for action.

… (*Interruptions*)

श्री सन्दीप दीक्षित : मैं अपनी बात बहुत संक्षेप में कहूंगा। मेरा भारत सरकार से बड़ा विनम्र आग्रह है कि इसमें जो भी कार्यवाही करनी है, शीघ्र करें। अभी मल्होत्रा जी ने जिस कमेटी की बात कही, पहली बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले सात-आठ वर्षों में यहां जब एन.डी.ए. की सरकार थी, उसी सरकार ने यह कमेटी दी थी, इनके मंत्री भी उस समय थे, इसके अंदर डी.डी.ए. भी था जो इस सबको करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप डी.डी.ए. के आंकड़ें देखें तो लो कॉस्ट हाउसिंग का 20 से 30 प्रतिशत का टार्गेट सात साल में पूरा नहीं किया गया और न ही कमर्शियल टार्गेट पूरा किया गया। …(व्यवधान)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : It is totally wrong. … (*Interruptions*)

श्री सन्दीप दीक्षित : आप मुझे बोलने दीजिए उसके बाद आप अपनी बात रखें…(व्यवधान) इन्हीं की सरकार द्वारा काम नहीं किया गया था…(व्यवधान) यह बहुत दुर्भाग्य की बात है कि इस पूरे इश्यू का बी.जे.पी. ने राजनीतिकरण कर दिया है। यहां जब दिल्ली की समस्या थी, जब एन.डी.ए सरकार यहां थी, हजारों झुग्गी वालों को दिल्ली से उठाया गया था और आदरणीय सोनिया गांधी जी उन लोगों को देखने गई थीं, तब इनमें से किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी। जब दिल्ली का गरीब दिल्ली से उठाया जा रहा था, तब इन्हें याद नहीं आया कि किसे घर देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए।

MR. SPEAKER: You can ask for a clarification.

… (*Interruptions*)

श्री सन्दीप दीक्षित :आज भी दिल्ली में जब केवल पैसे वाले दुकानदारों के मकान टूटते हैं तो बी.जे.पी. को राजनीति दिखती है। जब स्ट्रीट हॉकर्स की बात आई थी, तब उन्हें नहीं दिखा कि कौन सी पार्टी काम कर रही है और कौन सी पार्टी काम नहीं कर रही है। यहां हजारों गरीब, यू.पी., बिहार और अन्य राज्यों से आकर, छोटा सा आशियाना बनाकर दिल्ली के ग्रोथ इंजन में अपनी जीविका ढूढ़ते हैं , वे हज़ारों-हज़ार की संख्या में हटा दिए गये। उस समय मल्होत्रा जी को या बी.जे.पी. को याद नहीं आयी कि दिल्ली का गरीब कहां जा सकता है। उस समय इनको नादिरशाही की याद नहीं आयी। दिल्ली का पूरा का पूरा संयम ही अलग कर दिया।

अध्यक्ष महोदय : क्या क्लैरिफिकेशन चाहिये, वह पूछिये।

श्री सन्दीप दीक्षित : मैं सिर्फ यह बताने जा रहा हूं कि यह दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिन ट्रेडर्स की या दुकानदारों की यह बात करते हैं, यह उन्हीं ट्रेडर्स की पी.आई.एल. है जिसके माध्यम से माननीय हाई कोर्ट ने स्ट्रीट हॉकर्स के लिये यह निर्देश दिया है। एक तरफ यह ट्रेडर्स की बात करते हैं, उनकी हिमायत करते हैं, उन लोगों से जाने-अनजाने में कहीं न कहीं रूल ब्रेक हो गया और ट्रेडर्स एसोसिएशन जब उन पांच लाख स्ट्रीट हॉकर्स के खिलाफ आगे आई और माननीय सुप्रीम कोर्ट में दरखवास्त कर दी तो उसके समर्थन में ये लोग राजनीति करते हैं। यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है, यह बड़े शर्म की बात है…(व्यवधान)

MR. SPEAKER : This is a Calling Attention. Please ask for clarification.

श्री सन्दीप दीक्षित : इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि जो इन्होंने कमेटी बनाई है, उस हिसाब से यह सवाल बहुत ज्यादा पेचीदा है। इस में न केवल मकान बन रहे हैं या जिन लोगें ने कहीं न कहीं छोटी-मोटी गलती करके मकान बनाये हैं, उन्हें बचाने की बात है। इन्हें मानवीय रूप से देखा जाना चाहिये। इसलिये मैं निवेदन करूंगा कि तीन महीने का समय नहीं है, इसे जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिये। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि जितना भी राजनीतिकरण किया गया है, उसमें सफरर दिल्ली का आदमी ही है। आज के माहौल में दिल्ली में बी.जे.पी. ने जो आन्दोलन चलाया है, वह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। पूरे शहर में इन लोगों ने भय का माहौल पैदा किया हुआ है, हस्तिनापुर भयभीत हो गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने जो निर्णय दिया है, उस पर ये लोग राजनीति कर रहे हैं।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष जी, पिछले सात साल से दिल्ली और सैंटर में तथा कार्पोरेशन में कांग्रेस पार्टी का शासन है…(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Nothing else will be recorded except the statement of Shrimati Krishna Tirath.

*(Interruptions) ...**

श्रीमती कृणा तीरथ (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, मैं जानती हूं कि आज दिल्ली में एक बहुत ही ज्वलंत समस्या खड़ी हुई है।...(व्यवधान) अध्यक्ष जी, जब-जब दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आई, कांग्रेस ने हमेशा उजड़े हुये गरीबों को बसाया है लेकिन बी.जे.पी....(व्यवधान) लेकिन भाजपा के मल्होत्रा जी हमारे सामने बैठे हुये हैं...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : 'Bhajapa' is not unparliamentary.

श्रीमती कृणा तीरथ : जो बात उन्होंने उठायी है, मैं उसी पर आ रही हूं...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मल्होत्रा जी इस आरोप को नहीं मानते हैं।

श्रीमती कृणा तीरथ : अध्यक्ष जी, जब इनकी सरकार उजड़ गई, तब इन्होंने नहीं देखा। यह ठीक है कि हमारी सरकार का नारा - 'हमारा हाथ हमेशा आम आदमी और गरीब के साथ' है। जिन लोगों ने न्यायालय में अपनी अर्ज़ियां दीं, उन लोगों के खिलाफ डायरेक्टली या इनडैयरेक्टली इन से सहमत हैं।

---

* Not Recorded.

अध्यक्ष जी, मुझे इस संबंध में एक बात याद आती है कि इनकी हालत ऐसी प्रेमिका जैसी है जिसे प्रेमी फूल देता था लेकिन शक्ल नहीं पहचानता था, चेहरे पर मुखौटा डाला हुआ था, उस पर परदा डाला हुआ था। बार-बार इन्हें फूल देता रहा लेकिन इसके बारे में कभी सोचा नहीं। जब वह मर गया, उसकी कब्र बन गई, उस पर फूल चढ़ाने गई तो वहां से एक आवाज़ आई...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृणा जी, आप प्रश्न पूछिये।

श्रीमती कृणा तीरथ : अध्यक्ष जी, वहां से आवाज़ आई -

जब वो आए मेरी कब्र पर फातिहा पढ़ने,

जब वो बेनकाब थे, हम नकाब में आ गये।

तो ये लोग दिल्ली के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। जब मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट बनी, तब इन्होंने देखभाल नहीं की। 2001 में दिल्ली का मास्टर प्लान बना था। यह मास्टर प्लान दिल्ली की जनता को सुविधायें देने के लिये बना था। जब 2001 मे यह खत्म हो रहा था, उसके बाद...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह कोई डिबेट नहीं है।

श्रीमती कृणा तीरथ : अध्यक्ष जी, उस समय सैंटर में इनकी सरकार थी और 1993 में दिल्ली में भी इन लोगों की सरकार थी। ये लोग एक दिन में नहीं बसे, वर्षों तक बसते चला आये, इन्होंने तब कुछ नहीं कहा। इसलिये कुछ नहीं बनाया और आज जब हमारी सरकार आयी है तो इन लोगों ने कोर्ट में पी.आई.एल. डलवा दी। आज बुलडोज़र चल रहे हैं तो राहत की बात करते हैं...(व्यवधान)

MR. SPEAKER : Now I will call the hon. Minister.

... (*Interruptions*)

श्रीमती कृणा तीरथ (करोलबाग) : अध्यक्ष जी, मेरी सरकार से मांग है कि जो कमेटी बनी है, उसकी रिपोर्ट जल्दी आये और पर जल्दी से जल्दी ऐसी राहत मिले क्योंकि दिल्ली में जनसंख्या बढ़ी है, परिवार बढ़ा है, एक परिवार से चार परिवार बढ़े हैं, उन्होंने जो अनॉथराइज्ड कंस्ट्रक्शन अपने घर के भीतर की है, मेरी मांग है कि उस कंस्ट्रक्शन को रेगुलराइज़ किया जाए, लेकिन जो एनक्रोचमैंट बाहर की सरकारी ज़मीन पर की है, उसे ज़रूर हटाया जाए। क्या सरकार का ऐसा मानना है कि सरकारी ज़मीन की एनक्रोचमैंट हटाकर जो अनॉथराइज़्ड कंस्ट्रक्शन अपने घर के भीतर की है, उसको रेगुलराइज़ करेंगे? ... (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Hon. Minister. Nothing else will be recorded.

(Interruptions) ... *

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded.

(Interruptions) ... *

MR. SPEAKER: You are a very articulate Member. I have a lot of expectations from you. Only the hon. Minister's statement will be recorded.

*(Interruptions) ...**

MR. SPEAKER: You need not reply to these additional questions.

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, I have personal regard for my good friend, Prof. Vijay Kumar Malhotra. He is not only a senior Member of the House, he is also among the seniormost leaders in Delhi State. But I am painfully surprised to note that he has chosen to play to the gallery, not to the facts.

It is a very complex issue involving, as he rightly said, lakhs of people. This problem has developed over decades. It has gained in complexity. Therefore, it needs a very sophisticated nuance treatment. Prof. Vijay Kumar Malhotra has also tried to paint an alarmist scenario. It is not correct.

Sir, we did go to the High Court with the request that we only concentrate on two violations for the moment. One is to deal with the constructions that took place on public land which would amount to encroachment and second one is ongoing illegal constructions. His entire speech was based on the premise that the court has said no to this plea. May I, in all humility, submit to the House, through you, that it is not correct? The High Court has posted the matter to be heard on 22nd March, 2006. Therefore, it will not be correct to assume that the plea of the Municipal Corporation of Delhi or the application of Government of India has not been taken note of.

---

13. Not Recorded.

Prof. Vijay Kumar Malhotra referred to the need for general amnesty, how the Committee headed by him had earlier pleaded for general amnesty. I do not want to go into the merits of the amnesty because amnesty has an element of mercy. Therefore, nobody can disagree with that approach.

Having said that, I may set the record straight. Prof. Vijay Kumar Malhotra knows that a Committee's Report submitted under his chairmanship was treated not only with benign neglect by his own colleagues, Shri Jagmohan and Shri Ananth Kumar … (*Interruptions*)

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA : Sir, this is a wrong statement. The Delhi Government headed by Smt. Sheila Dixit did not approve of it and did not send it to the Centre. This is on record. Otherwise, it is a matter of privilege also. … (*Interruptions*)

अध्यक्ष महोदय : आप बैठ जाइए।

… (*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY: Sir, the Report submitted by Malhotra Committee was declined by the Government of Delhi, not the Union Government. The Urban Development Ministry … (*Interruptions*) It was not agreed to. He was good enough to send the Report to the Urban Development Ministry directly. Both the Ministers, Shri Jagmohan and Shri Ananth Kumar, did not agree with its recommendations.

PROF. VIJAY KUMAR MALHOTRA: Sir, this is a totally wrong statement being made by the hon. Minister. … (*Interruptions*) Shri Jagmohan only said that the Delhi Government has not recommended any action on it. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Please, you can do it afterwards.

… (*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY: The ground reality is that I have not undergone any change in the last few years. … (*Interruptions*)

MR. SPEAKER: Nothing will be recorded except the reply of the hon. Minister.

(Interruptions) ... *

SHRI S. JAIPAL REDDY: Therefore, it does not lie well in the mouth of any BJP Member to talk of amnesty. I agree with Prof. Malhotra that there is a need to adopt a compassionate approach, and a practical approach. We cannot adopt a legalistic approach. Therefore, we have appointed a High-powered Committee headed by former Lieutenant Governor Shri Tejendra Khanna, and the President of State BJP of Delhi is a Member of the Committee. One month is over, and the Committee has only two months to go. If we are to bring about changes in law, then we must know what changes must be made in it. What is the bench mark for any change in law? We are not, *per se,* opposed to changes in law. If necessary, I will come forward with an appropriate piece of legislation before this House, but I must know what changes I must make in it.

Now, Prof. Malhotra is in the Opposition, and could make sweeping recommendations. But I want him to be responsible, and I want him to feel committed to the objective of developing Delhi as India's proud capital city. I am saying this because we also cannot ignore the larger, more long-term considerations of Delhi as a capital city of India.

Sir, it is true – as he said – that there are 18,000 houses listed either for sealing or demolition. Demolition is an ultimate weapon, and it is not the only weapon. Therefore, we have gone to the High Court to see if the process could be slowed down until the Committee makes its recommendations.

As regards major buildings that were referred as being targeted for sealing, I must clarify that the Supreme Court itself was very compassionate in its approach. The Supreme Court clearly said that the small shops should be spared. So, we have issued a public notice to the effect that only major buildings, in other words, buildings that contained more than 50 per cent ommercialization would be covered. Our understanding is that they will not be very large in number.

---

13. Not Recorded.

As for the issues in Lal Dora, these issues have been referred to the High-powered Committee. Please bear with us. You took six years to do nothing, but please give me two months.

As regards the issue of hawkers, I completely agree with him that we need to show sympathy, but the Supreme Court passed an order only yesterday. I have not seen the order. Sir, you – as a noted jurist – would not advise me to rush in like a fool where angels fear to tread. Therefore, I cannot make a comment on it unless I go through the judgement.

As regards *jhuggis*, our policy is very clear. They will not be dislocated unless we are able to show them alternative accommodation. Our policy is very clear to the effect that people in *jhuggis* and *jhonpdis* will not be disturbed from the places that they are occupying unless those places are required for some larger project.

13.00 hrs.

Otherwise, they will be provided with amenities in the given situation, what we call *in situ*. Therefore, his fears on the count of slum dwellers are misplaced. I am afraid, he is trying to around false fears so that some vested interest can be served. I do not think, it is a correct approach.

Sir, as for Government Servants' quarters also, if Government Servants are not found to be misusing the quarters for commercial purposes, we are prepared to adopt a lenient approach.

Sir, he referred to the example of Ulhas Nagar. I am afraid, the analogy of Ulhas Nagar does not apply squarely to Delhi. It was one locality. It referred to one category, namely, the refugees who came from Pakistan. We will certainly adopt some elements of the approach as and when the Committee makes the recommendations. We are sure the Courts of India also will adopt a very practical approach. There is no need for us to get worked up and get people worked up. Prof. Malhotra knows much more about the problem that I do, Sir, but he is merely interested in exploitation of the problem than in providing a solution to the problem.

Shri Chandrappan suggested a legislation. I think, at the end of the day, legislation is inescapable. Prof. Malhotra advocated the same approach, but I would like to know as to what elements should constitute that legislation. That is the reason why I have appointed a Committee. Shri Sandeep Dikshit wanted relief to be given to affected sections excluding the vested interests. Naturally, relief will have to be given to the masses. If so many people were compelled to violate the law, there is something wrong with the law itself or with the law enforcing machinery. I admit that. Shrimati Krishna Tirath pleaded for relief. We will provide relief, after the recommendations of the Committee are received. We are also trying to get relief through the Courts. At the end of the day, Sir, if necessary, I will come back to the House with an appropriate piece of legislation. … (*Interruptions*)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा : अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने जो उत्तर दिया है, उससे कई बैंतें स्पट नहीं होती हैं। चूंकि यह लाखों लोगों की भावनाओं का सवाल है और मंत्री महोदय का उत्तर र्सेतोाजनक नहीं है। इसलिए हम प्रोटैस्ट में सदन से बहिर्गमन करते हैं।

13.03 hrs.

-

(Prof. Vijay Kumar Malhotra and some other hon. Members then left the House)